

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No.2502/2025

in

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2634/2025

Vishnu S/o Omprakash, Aged About 48 Years, R/o Dashera
Maidan, Gangapurcity, Ps. Udai Mod, Gangapurcity, Distt.
Sawaimadhopur. (Accused In Distt. Jail Karauli)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp.

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. R.R. Goyal
For Respondent(s) : Mr. Shree Ram Dhakar, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

18/03/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **विष्णु** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय—विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, करौली (राजस्थान) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—61/2021, राजस्थान राज्य बनाम **विष्णु** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **12.09.2025** के विरुद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी—अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को प्रकरण में अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है, उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/अभियुक्त दौराने विचारण कुछ समय न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह जमानत पर आजाद रहा है तथा वर्तमान में वह निर्णय की दिनांक 12.09.2025 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि लगभग आठ माह की होने को है, दौराने बहस उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में अभियुक्त/अपीलार्थी के कब्जे से कुल 12.80 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है, उक्त पदार्थ की बरामदगी उसकी वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम से काफी कम है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में जब्ती अधिकारी द्वारा एन0डी0पी0एस0 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्य का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन-विश्लेषण नहीं किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद

50,000 / – रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000 / –रूपए (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **18.04.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **विष्णु पुत्र श्री ओमप्रकाश** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J